5

470

न्यायालय श्रीमान राजस्व महोदय, मंडल ग्वालियर
जिला ग्वालियर म.प्र.

R 2292 PBR/13

1 समरथ पिता भागीरथ जाति पाटीदार
2 शैलेन्द्र पिता समरथ जाति पाटीदार उम्र 5 वर्ष
3 पियूष पिता समरथ जाति पाटीदार उम्र 3 वर्ष
ना.बा. सरपरस्त पिता समरथ पिता भागीरथ
निवासीगण–मामटखेडा तह. पिपलौदा जिला रतलाम म.प्र.

— प्रार्थीगण

दिनांक 17.6.13 को श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभि० द्वारा प्रस्तुत। 17.6.13 A.S.

बनाम

भागीरथ पिता धूराजी जाति पाटीदार
निवासी– मामटखेडा तह. पिपलौदा जिला रतलाम म.प्र.

— प्रतिप्रार्थी

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.सं 1959</u>

मान्यवर महोदय,

प्रार्थीगण की और से निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत है।

1 यह है कि प्रतिप्रार्थी द्वारा न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय जावरा के न्यायालय मे धारा 44 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 के तहत अपील प्रस्तुत कर यह निवेदन किया की ग्राम मामटखेडा स्थित कृषि भूमि अपीलान्ट ने रेस्पापडेट कमांक 1 लगायत 4 ने मिलकर फर्द बटवारा पर फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी दस्तावेज तैयार किये है और यह भी बताया है कि प्रार्थी कोई कार्यावाही बटवारे के सम्बद्ध मे तहसील कार्यालय प्रस्तुत नही की है। जबकी रेस्पाडेट ने अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 23/01/2012, 23/02/2012, 27/02/2012, 29/02/2012, 06/03/2013 मे स्वय उपस्थित हो कर न्यायालय के समक्ष हस्ताक्षर किये है और सहमति से बटवारा करवाया है।

3

और इस समस्त तथ्यो की जानकारी प्रतिप्रार्थी को प्रारंम्भ से ही है। प्रतिप्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय मे असत्य आधारो पर 28/07/2012 को अपील प्रस्तुत की है। जबकी प्रार्थी द्वारा 14/02/2013 को एक आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एवं धारा 32 म.प्र.भू.रा.सं. का प्रस्तुत कर निवेदन किया की रेस्पाडैट कमांक 4 शासकिय कर्मचारी है और जो बटवारे के कार्यावाही मे पक्षकार भी नही था उसे अधीनस्थ न्यायालय मे बिना अनुमति व बिना धारा 80 सीपीसी का नोटीस दिये रेस्पाडैट कमांक 4 के रूप मे सयोजीत किया था जो की जिस कारण प्रतिप्रार्थी की अपील अधीनस्थ न्यायालय मे मेन्टनेबल ही नही है। साथ मे प्रतिप्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 23/01/2012, 23/02/2012, 27/02/2012, 29/02/2012, 06/03/2013 मे स्वंय उपस्थित होकर न्यायालय के समक्ष हस्ताक्षर किये है और सहमति से बटवारा करवाया है। और इस कारण तथ्यो की जानकारी प्रतिप्रार्थी को प्रारंम्भ से ही है। इस कारण प्रतिप्रार्थी ने मिथ्या आधारो पर अपील प्रस्तुत की है व सत्य बातो को छुपाया है इस कारण उसके विरूद्ध धारा 340 जा.फो के तहत कार्यावाही करना आवश्यक है।

2 यह है कि अपील न्यायालय भी याने की अधीनस्थ न्यायालय भी निगरानीकर्ता को सुनवाई का समूचित अवसर दिये ही एवं उसकी आपत्तियो को नजरअंदाज कर रही है जो अपील न्यायालय की पोसेडिगं से स्पष्ट हो जायेगा। दिनांक 23/11/2012 की पत्रवली मे स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता ने एक धारा 32 का अवेदन प्रस्तुत किया था। एवं प्रतिप्रार्थी का धारा 3 अवधी विवाद बहस हेतु नियत था जिसके लिये 07/12/2012 नियत की गई थी। और उसके पश्चात 28/12/2012 नियत की गई तभी प्रकरण पूर्वत रखा गया। फिर दिनांक 11/01/2013 को प्रकरण को बिना अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड तलब करे ही एकतरफा बहस सुनी गई व प्रकरण दिनांक 21/01/2013 को आदेश हेतु निय किया गया।

निरन्तर–3

XXIX(a)-BR(H)-11

(470)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2299-पीबीआर/13 **जिला** - रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	